**न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर**
**पीठासीन अधिकारी – सौरभ स्वामी, I.A.S.**

वादपत्र संख्या 59/2015
अन्तर्गत धारा 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. सुनीलकुमार आयु 39 वर्ष, एवं
2. अनिलकुमार आयु 30 वर्ष आत्मजन श्री दलीप, जाट, फतूही तहसील व जिला श्रीगगानगर.
3. श्रीमती उर्मिला आयु 60 वर्ष धर्मपत्नी श्री दलीप, जाट, फतूही तहसील व जिला श्रीगगानगर.

**...वादीगण**

बनाम

1. बलवन्त,
2. लेखराम एवं
3. तारांचन्द आत्मजन श्री आदुराम, जाट, फतूही तहसील व जिला श्रीगगानगर.
4. किशोरकुमार एवं
5. अजीतकुमार आत्मज श्री मनोहरलाल, जाट, फतूही तहसील व जिला श्रीगगानगर.
6. श्रीमती रमन आत्मजा श्री कुलदीप, जाट, फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
7. श्रीमती राजबाला आत्मजा श्री दलीप धर्मपत्नी श्री संजय, जाट, पीलीबंगा जिला हनुमानगढ.

**..प्रतिवादीगण**

उपस्थित– श्री विजय रेवाड (वादीगण)
श्री ओमप्रकाश बत्तरा (प्रतिवादी–1)
श्री राजेन्द्र रेवाड़ (प्रतिवादी–2 से7)

**दिनांक 04 सितम्बर, 2018**

**– निर्णय –**

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 3 एच बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 2/3 मुरब्बा नबर 61 किला नम्बर 1 से 4 प्रत्येक 0.228 हैक्टर, किला नम्बर 7 से 14 प्रत्येक 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 17 से 20 प्रत्येक 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 21 से 25 प्रत्येक 0. 228 हैक्टर कुल 4.860 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 78/30 में 0.101 हैक्टर खाला दोनों मुरब्बा की कुल 4.961 हैक्टर अर्थात लगभग 20.00 बीघा कृषि भूमि वादीगण के पिता श्री दलीप, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पिता श्री मनोहरलाल के नाम पर दर्ज थी तथा प्रत्येक के हक में 4.00 बीघा कृषि भूमि आती है. इसी चक के खाता संख्या 10 मुरब्बा नम्बर 66 किला नम्बर 21 एवं 22 प्रत्येक 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 23/1(0.126) हैक्टर कुल 0.632 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 68 किला नम्बर 1 से 25 में 6.174 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 69 किला नम्बर 1 से

सहायक कलक्टर एव
पालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

25 की 6.010 हैकटर, मुरब्बा नम्बर 70 किला नम्बर 1 से 25 की 6.010 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 71 किला नम्बर 1 से 25 की 6.200 हैक्टर, मुरबबा नम्बर 78/73 की 0.278 हैक्टर खाल कुल 25.304 हैक्टर में से 12.645 हैक्टर अर्थात 50.00 बीघा कृषि भमि के वादीगण के पिता श्री दलीप, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पिता श्री मनोहरलाल सहखातेदार हैं. वादीगण के पिता की मृत्यु हो चुकी है किन्तु राजस्व अभिलेखों में प्रश्नगत कृषि भूमि वादीगण के पिता एवं पति के नाम से ही चली आ रही है. श्री दलीप की मृत्योपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 6 व 7 प्रश्नगत कृषि भूमि के खातेदार हो गये हैं. प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पिता श्री मनोहरलाल की मृत्योपरान्त श्री मनोहरलाल के हिस्सा की कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को प्राप्त हो चुकी है. प्रतिवादी संख्या 4 व 5 दोनों भाईयों द्वारा परस्पर सहमति से प्रतिवादी संख्या 5 श्री अजीत द्वारा खाता संख्या 2/3 मुरब्बा नम्बर 61 में अपना हिस्सा ले लिया है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ने दूसरे खाता संख्या 10 मे भूमि ले ली है. वादपत्र के पक्षकारान एक ही परिवार की सन्तान हैं और वाद के पक्षकारान द्वारा काश्त की सुविधा के लिये सन् 1989 में ही घरेलू बंटवारा करते हुऐ घरेलू विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं. घरेलू विभाजन के अनुसार खाता संख्या 2/3 के मुरब्बा नम्बर 71 किला नम्बर 1, 2, 4 प्रतिवादी संख्या 1 श्री बलवन्त को, किला नम्बर 3 , 8, 13, 18 एवं 23 वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के पिता को, किला नम्बर 10, 11, 20, 21 प्रतिवादी संख्या 3 को, किला नम्बर 7, 14, 17 एवं 24 प्रतिवादी संख्या 5 को प्राप्त हुआ. किला नम्बर 9, 12, 19 एवं 22 प्रतिवादी संख्या 2 को प्राप्त हुई. इस प्रकार वादीगण के पिता मुरब्बा नम्बर 61 के 5.00 बीघा प्रतिवादी संख्या 1 को 3.00 बीघा भूमि घरेलू बंटवारा में प्राप्त हुई. इस प्रकार शेष हिस्सेदारान ने अपनी अपनी चार चार बीघा कृषि भूमि का विभाजन कर लिया गया. वर्तमान खाता संख्या 10 के अन्य हिस्सेदारान के साथ खाता संख्या 10 मुरब्बा नम्बर 68 एवं 71 की 50.00 बीघा का घरेलू विभाजन कर लिया गया. इन दोनों मुरब्बा में पांच भाईयों द्वारा अपनी 10.10 बीघा कृषि भूमि बांट ली गयी. मुरब्बा नम्बर 68 के किला नम्बर 1 से 5 वादीगण के पिता किला नम्बर 6 से 15 प्रतिवादी संख्या 2, किला नम्बर 16 से 25 प्रतिवादी संख्या 4 के पिता के हिस्सा में, मुरब्बा नम्बर 71 किला नम्बर 1 से 4 वादीगण के पिता के हक में, किला नम्बर 5 से 14 प्रतिवादी संख्या 3, किला नम्बर 15 से 25 प्रतिवादी संख्या 1 को घरेलू बंटवारा में प्राप्त हुऐ. प्रतिवादी संख्या 1 को खाता संख्या 10 में 11.00 बीघा एवं खाता संख्या 2/3 में 3.00 बीघा कुल 14 बीघा भूमि प्राप्त हुई. वर्तमान में, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वाद के पक्षकारान से जमाबन्दी हिस्सा अनुसार दोनों खातों में भूमि देने का अनुरोध किया, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खाता संख्या 2/3 के मुरब्बा नम्बर 61 में 4.00 बीघा एवं खाता संख्या 10 मुरब्बा नम्बर 68 एवं 71 में 10.00 बीघा देने को कहा जिस पर वादीगण ने अपना कब्जा के मुरब्बा नम्बर 61 के किला नम्बर 3 प्रतिवादी संख्या 4 को देने के लिये तैयार हो गये और इसकी एवज में प्रतिवादी संख्या 1 मुरब्बा नम्बर 71 के किला नम्बर 15 वादीगण को देने के कथन किये गये. इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 मुरब्बा नम्बर 61 में किलान नम्बर 1 से 4(4.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
श्रीगंगानगर

00) बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 71 के किला नम्बर 16 से 25(10.00) बीघा कुल 14.00 बीघा का हकदार है इस पर वादीगण मुरब्बा नम्बर 61 किला नम्बर 3 छोड़ कर मुरब्बा नम्बर 71 के किला नम्बर 15 में फसल बिजाई के लिये पानी लगा दिया. किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 लालचवश अब पुनः मुरब्बा नम्बर 71 किला नम्बर 15 पर अपना हक जताने लग गया और वादीगण को धमकी दी कि किला नम्बर 15 में प्रतिवादी संख्या 1 की फसल बिजाई करेगा. जबकि प्रतिवादी संख्या 1 मुरब्बा नम्बर 61 कि किला नम्बर 3 प्राप्त कर चुका है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 को किला नम्बर 15 पर वादीगण की फसल काश्त करने में अवरोध उत्पन्न करने का कोई अधिकार नहीं है. ऐसी स्थिति में, वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व, प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण को घरेलू बंटवारा में प्राप्त मुरब्बा नम्बर 61 किला नम्बर 8, 13, 18, 23 एवं मुरब्बा नम्बर 68 किला नम्बर 1 से 5, मुरब्बा नम्बर 71 किला नम्बर 1 से 4 एवं किला नम्बर 15 के कब्जा काश्त में फसल काश्त करने में कोई बाधा उत्पन्न न करें, शाश्वत व्यादेश प्राप्त करने के अधिकारी हैं. वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के कथनानुसार मुरब्बा नम्बर 61 के किला नम्बर 3 को प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में छोड़ चुके हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 के कथनानुसार ही मुरब्बा नम्बर 71 किला नम्बर 15 में पानी लगाया गया है जिस पर फसल काश्त करने का वादीगण को हक व अधिकार है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 लालचवश किला नम्बर 15 में वादीगण की फसल काश्त करने में अवरोध उत्पन्न कर ररहा है. वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को उल्लेखित अवरोध उत्पन्न नहीं करने के लिये कहा गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इन्कार कर दिया गया. यही वादहेतुक उपलब्ध है. खाता संख्या 2/3 के मुरब्बा नम्बर 61 में वाद के पक्षकारान की खातेदारी है और खाता संख्या 10 में अन्य खातेदार भी है. किन्तु वादीगण का वाद केवल शाश्वत व्यादेश का है. और अन्य खातेदारान के विरूद्व कोई अनुतोष नहीं चाहा गया इसी कारण संयुक्त खाता के सभी खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया. घरेलू बंटवारा वाद के पक्षकारान के मध्य हुआ है इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 व उसके भाई एवं भाई के वारिसान ही वाद में आवश्यक पक्षकार हैं. इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व मुरब्बा नम्बर 68 किला नम्बर 1 से 5, मुरब्बा नम्बर 71 किला नम्बर 1 से 4, 15 एवं मुरब्बा नम्बर 61 किला नम्बर 8, 13, 18, 23 पर वादीगण के कब्जा काश्त में कोई हस्तक्षेप नहीं करने तथा प्रतिवादी संख्या 1 को मुरब्बा नम्बर 61 किला नम्बर 1 से 4, मुरब्बा नम्बर 71 किला नम्बर 16 से 25 के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से फसल काश्त करने से निषेधित करने हेतु शाश्वत व्यादेश हेतु निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में चक 3 एच बड़ा की जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072 की प्रमाणित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

प्रतिवादी संख्या 1 से 7 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित.

प्रतिवादी संख्या 2 से 5 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 25 अगस्त, 2015 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादपत्र के समस्त तथ्यों

को स्वीकार करते हुऐ प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने पर कोई आपत्ति नहीं होने के कथन प्रस्तुत किये गये.

प्रतिवादी संख्या 6 एवं 7 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 25 अगस्त, 2015 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादपत्र के समस्त तथ्यों को स्वीकार करते हुऐ प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने पर कोई आपत्ति नहीं होने के कथन प्रस्तुत किये गये.

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र दिनांक 18 नवम्बर, 2015 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार विचाराधीन शीर्षक का वाद किस धारा के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है इस तथ्य का वादपत्र में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया व न ही विचाराधीन वाद में सभी को पक्षकार ही बनाया गया है. इसलिये वादपत्र कानूनन पोषणीय नहीं होने के कारण इसी स्तर पर निरस्त किये जाने योग्य है. इस प्रकार वादपत्र इसी प्रारम्भिक आपत्ति पर ही निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया.

वादी अधिवक्ता द्वारा जवाब आवेदनपत्र दिनांक 21 जनवरी, 2016 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार विचाराधीन वाद प्रतिवादी के विरूद्व शाश्वत व्यादेश हेतु धारा 188 राज. काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है. वाद में केवल प्रतिवादी के विरूद्व शाश्वत व्यादेश चाहा गया है, इसलिये प्रतिवादी को ही पक्षकार बनाया गया है. शाश्वत व्यादेश के बाद में तमाम खातेदारान को पक्षकारान बनाया जाना आवश्यक नहीं है. वाद के बिन्दु संख्या 8 में वाद में पक्षकारान बनाये जाने बाबत स्पष्ट अंकित किया गया है. आवेदनपत्र गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है. प्रतिवादी वादपत्र पर अपने जवाब वादपत्र में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. इस प्रकार आवेदनपत्र सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया.

जिस पर युक्तियुक्त विचारणोपरान्त आदेश दिनांक 26 फरवरी, 2016 द्वारा आवेदनपत्र में अंकित किया गया है कि सभी को पक्षकार नहीं बनाया गया. यहां यह तथ्य स्पष्ट नही किया गया कि किस व्यक्ति को किस प्रकार पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था, और किस व्यक्ति को पक्षकार नहीं बनाया गया है. ऐसे अस्पष्ट आवदेन पत्र से किसी भी दृष्टिकोण से वादपत्र आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता से प्रभावित नही होता है. अतः आवेदनपत्र अस्वीकार किया गया.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(कोर्ट टूक) श्रीगंगानगर

पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विवाद्यकों का निर्धारण किया गया –

1. क्या चक 3 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 68 किला नम्बर 1 से 5(5.00), मुरब्बा नम्बर 71 के किला नम्बर 1 से 4(4.00) एवं किला नम्बर 15 एवं मुरब्बा नम्बर 61 के किला नम्बर 8, 13, 18 एवं 23 पर वादी प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व

स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है?

....वादी

2. अनुतोष?

विवाद्यको के विनिश्चिय हेतु साक्ष्य वादी के लिये श्री अनिलकुमार एवं श्री सुनीलकुमार द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया. जिनसे जिरह की गयी. जिस पर अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नही करने के कथन हस्ताक्षरित करने पर साक्ष्य वादी पूर्ण की गयी. साक्ष्य प्रतिवादी हेतु यथोचित अवसर दिये जाने पर भी साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत नही करने के कारण आदेश दिनांक 19 सितम्बर, 2016 को अन्तिम अवसर एवं दिनांक 17 अक्तूबर, 2016 को राशि 200.00 कॉस्ट पर पुनः अन्तिम अवसर दिया गया. जिस पर भी साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत नही करने के परिणामतः आदेश दिनांक 29 नवम्बर, 2017 द्वारा साक्ष्य वादी बन्द की गयी.

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र दिनांक 4 नवम्बर, 2016 अन्तर्गत आदेश 6 नियम 2 एवं धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार विचारधीन प्रकरण  के साथ विविध प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें स्थगन आदेश निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्व वादी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की गयी. तत्पश्चात, आवेदक बीमार होने के कारण नहीं आ सका. अब अधिवक्ता द्वारा सूचना देने पर पता चला कि जवाब वादपत्र दिनांक 23 अक्तूबर, 2015 को बन्द हो गया है. आवेदक द्वारा जानबूझ कर ऐसा नहीं किया बल्कि भूलवश ऐसा हुआ है इसलिये न्यायहित में जवाब वादपत्र का अवसर दिया जावे. इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा जवाब वादपत्र खोले जाकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने हेतु निवेदन किया गया.

वादी अधिवक्ता द्वारा जवाब आवेदनपत्र दिनांक 17 नवम्बर, 2015 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार विचाराधीन प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 बलवन्तराम द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 2 जून, 2015 को उपसिति दी गयी है, उसी दिवस से ही श्री बलवन्तराम की जवाबदेही का समय शुरू हो गया था. श्री बलवन्तराम द्वारा समय समय पर जवाब वादपत्र के लिये अवसर लिये जाते रहे, दिनांक 1 अक्तूबर, 2015 को राशि 200.00 कॉस्ट पर पुनः जवाब वादपत्र हेतु अन्तिम अवसर दिया गया जिस पर भी जवाब वादपत्र प्रस्तुत नही किये जाने के कारण आदेश दिनांक 26 अक्तूबर, 2015 द्वारा जवाब वादपत्र बन्द किया गया. जवाब बन्द होने के बाद वादी सुनील एवं श्री अनिल की साक्ष्य भी प्रस्तुत की जा चुकी है. श्री बलवन्तराम द्वारा आवेदनपत्र में अपनी बीमारी का हवाला देकर जवाब वादपत्र पेश करने में असमर्थता जतायी है जबकि एक अन्य पत्रावली शीर्षक बलवन्त बनाम ताराचन्द में बलवन्तराम साक्ष्य देने हेतु मा. न्यायालय में आया था. इसलिये बीमारी का बहाना गलत एवं झूठा बनाया गया है. आज पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी पर है इसलिये प्रतिवादी द्वारा जवाब वादपत्र का अवसर दिया जाना उचित एवं सही नहीं है. जबकि

वादी की साक्ष्य पूर्व में हो चुकी है. इस प्रकार आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया.

आवेदनपत्र पर युक्तियुक्त विचारणोपरान्त आदेश दिनांक 17 नवम्बर, 2017 द्वारा पत्रावली के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 19 जून, 2015 को उपस्थिति दी गयी. तदोपरान्त, दिनांक 21 जुलाई, 2015, दिनांक 10 अगस्त, 2015 एवं दिनांक 25 अगस्त, 2015 को जवाब वादपत्र हेतु समय चाहा गया. जिस पर भी जवाब वादपत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण दिनांक 9 सितम्बर, 2015 को जवाब वादपत्र हेतु अन्तिम अवसर, दिनांक 1 अक्तूबर, 2015 को राशि 200.00 कॉस्ट पर पुनः अन्तिम अवसर दिये जाने पर भी जवाब वादपत्र प्रस्तुत नही करने के परिणामतः आदेश दिनांक 27 अक्तूबर, 2015 को जवाब वादपत्र बन्द किया गया. किन्तु विचाराधीन आवेदनपत्र में जवाब वादपत्र बन्द होने की तिथि दिनांक 27 अक्तूबर, 2015 से आवेदनपत्र प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक 4 नवम्बर, 2016 तक की एक वर्ष से अधिक की अवधि बाबत किसी भी प्रकार के ठोस कारणों का अंकन नहीं किया गया. इसके साथ ही, आवेदनपत्र में बीमार होने के कारण नहीं आने के तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं जिनकी बाबत किसी भी प्रकार के अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं. ऐसी स्थिति में, आवेदनपत्र अस्वीकार किया गया.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

> विवाद्यक संख्या 1 – क्या चक 3 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 68 किला नम्बर 1 से 5(5.00), मुरब्बा नम्बर 71 के किला नम्बर 1 से 4(4.00) एवं किला नम्बर 15 एवं मुरब्बा नम्बर 61 के किला नम्बर 8, 13, 18 एवं 23 पर वादी प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है? **....वादीगण**

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के बिन्दुओं में अंकित किया गया है कि पारिवारिक स्तर पर किये गये घरेलू बंटवारा में उनके पिता को चक 3 एच बडा के खाता संख्या 2/3 के मुरब्बा नम्बर मुरब्बा नम्बर 68 किला नम्बर 1 से 5, मुरब्बा नम्बर 71 किला नम्बर 1 से 4, मुरब्बा नम्बर 61 के किला नम्बर 8, 13, 18, 23 कृषि भूमि प्राप्त हुई. इसके अतिरिक्त, यदि पक्षकारान द्वारा मौखिक रूप से प्रतिवादी संख्या 1 के साथ मुरब्बा नम्बर 61 के किला नम्बर 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ उसके हिस्सा के मुरब्बा नम्बर 71 के किला नम्बर 15 से मौखिक रूप से विनिमय किया गया है तो उसका राज्यपक्ष से कोई सम्बन्ध नहीं है. इस प्रकार वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व किसी भी आश्य की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 1 वादीगण के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

सहायक कलक्टर एव कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

विवाद्यक के विनिश्चिय के अनुसार वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व किसी भी आश्य की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने के कारण वादपत्र निरस्त किये जाने योग्य है.

।। आदेश ।।

अतः वादपत्र निरस्त किया जाता है. वाद व्यय पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे. यथा डिक्री जारी हो.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय में आज दिनांक 04 सितम्बर, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

( सौरभ स्वामी )
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
( फास्ट ट्रेक ) श्रीगंगानगर